रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2002/आषाढ़ 26, 1924
No. 144] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2002/ASADHA 26, 1924

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
9/11/03

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2002

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन विनियम, 2002

एचआरडीडी सं. 1995(1)/स्टाफ-जनरल(2).—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम,1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लघु विकास बैंक पेंशन विनियम, 1993 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन चीजों के जो इस प्रकार के अधिक्रमण के पहले की गई हैं अथवा करने हेतु छोड़ दी गई हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

अध्याय - I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(i) इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन विनियम, 2002 कहा जायेगा ;

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ·

(1) 'अधिनियम' से तात्पर्य भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का सं. 39) है;

(2) 'बीमांकक' का तात्पर्य वह होगा, जो इंडियन बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (1) में अभ्यर्पित है;

(3) 'औसत-परिलब्धियों' से तात्पर्य कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के अन्तिम 10 महीनों के दौरान आहरित वेतन के औसत से है;

(4) 'बोर्ड' से तात्पर्य अधिनियम के अधीन गठित लघु उद्योग बैंक का निदेशक बोर्ड है;

(5) 'सक्षम प्राधिकारी' का वही तात्पर्य होगा, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्टाफ विनियमावली, 2001 में दिया गया है;

(6) 'सेवानिवृत्ति की तारीख' का तात्पर्य उस तारीख से है, जिस तारीख को कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है अथवा उसे लघु उद्योग बैंक द्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है अथवा जिस तारीख को कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है;

(7) 'कर्मचारी' से तात्पर्य लघु उद्योग बैंक की सेवा में पूर्णकालिक कार्य पर अथवा प्रति सप्ताह तेरह घंटे से अधिक अंशकालिक कार्य पर नियुक्त कोई व्यक्ति है, जो इन विनियमों का विकल्प चुनता है और इनके द्वारा नियंत्रित होता है किन्तु इसमें संविदा आधार पर अथवा दैनिक मजदूरी आधार पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है;

(8) 'परिवार' से तात्पर्य ,

(क) पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी और महिला कर्मचारी के मामले में पति, बशर्ते कर्मचारी का विवाह उसकी सेवानिवृत्ति से पहले हुआ हो,

(ख) पुत्र जिसने 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और अविवाहित पुत्री, जिसने 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। इसमें सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से अंगीकृत दत्तक पुत्र अथवा पुत्री शामिल है, किन्तु सेवानिवृत्ति के बाद अंगीकृत दत्तक पुत्र अथवा पुत्री शामिल नहीं होंगे, तथापि, मरणोपरान्त जन्मा बच्चा परिवार-पेंशन के लिए पात्र होगा,

(9) 'निधि' से तात्पर्य विनियम 6 के अधीन गठित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन निधि है;

IndiaCode

(10) 'वेतन' में शामिल हैं --

(क) मूलपद वेतन,

(ख) स्थानापन्न वेतन,

(ग) विशेष वेतन,

(घ) वैयक्तिक वेतन,

(ङ) विशेष वैयक्तिक वेतन,

(च) ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जो 1 नवम्बर, 1993 को लघु उद्योग बैंक की पंजी पर हैं, महंगाई भत्ता घटक 1148 बिन्दु तक (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1960 - 100),

(छ) कोई अन्य परिलब्धियां, जिन्हें लघु उद्योग बैंक का बोर्ड वेतन के रूप में वर्गीकृत करता है.

(11) 'भविष्य निधि' से तात्पर्य भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1990 के विनियम 3 के अधीन सृजित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि है;

(12) इन विनियमों की अन्य शर्तों के अधीन, 'अर्हता सेवा' से तात्पर्य ड्यूटी पर अथवा अन्यथा दी गयी सेवा है, जिसे इन विनियमों के अधीन पेंशन के उद्देश्य हेतु हिसाब में लिया जाएगा;

(13) 'सेवानिवृत्ति' से तात्पर्य स्टाफ विनियमावली के विनियम 21 और करारों / पंचाटों के अन्तर्गत, बैंक द्वारा जारी अन्य अनुदेशों के अनुसार सेवानिवृत्ति है;

(14) 'लघु उद्योग बैंक' से तात्पर्य अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है;

(15) 'स्टाफ विनियमावली' से तात्पर्य भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 2001 है;

(16) 'न्यास' से तात्पर्य विनियम 6 के उप-विनियम (1) के अधीन गठित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक निधि है;

(17) 'न्यासी' से तात्पर्य विनियम 6 के अधीन गठित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन निधि है।

अध्याय - II

प्रयुक्ति और पात्रता

3. प्रयुक्ति

ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे --

(i) वे कर्मचारी, जो 1 नवम्बर, 1993 को या इसके बाद लघु उद्योग बैंक की सेवा में आये हैं;

(ii) ऐसे कर्मचारी, जो 1 नवम्बर, 1993 को लघु उद्योग बैंक की सेवा में हैं। इसमें वे कर्मचारी शामिल नहीं हैं, जो लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लिखित में इस विकल्प का प्रयोग करते हैं कि इन विनियमों द्वारा नियंत्रित नही होंगे; और

(iii) वे कर्मचारी, जो 2 अप्रैल, 1990 को सेवा में थे और 1 नवम्बर, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये, बशर्ते वे इन विनियमों द्वारा नियंत्रित होने के विकल्प का प्रयोग करते हैं और निर्धारित अवधि के भीतर, भविष्य-निधि में लघु उद्योग बैंक का अंशदान और लघु उद्योग बैंक से उन्हें प्राप्त ब्याज चुका दें। साथ ही, आहरण की तारीख से चुकौती की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी उन्हें देना होगा। उन्हें विनियम 40 के अनुसार पेंशन देय होगी।

4. पात्रता

पेंशन पूर्णकालिक कर्मचारी और अंशकालिक कर्मचारी को, उसका अंशकालिक कार्य प्रति सप्ताह 13 घंटे से अधिक होने पर, सेवानिवृत्ति पर देय होगी, बशर्ते उसने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो। सेवा में रहते हुए यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके मामले में परिवार-पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता लागू नहीं होगी।

5. इन विनियमों को लागू करने के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक पेंशन विनियम, 1990 अथवा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पेंशन विनियम, 1993 अथवा सिविल सेवा विनियम अथवा उदारीकृत पेंशन नियम अथवा सिविल पेंशन (रूपांतरण) नियम अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के तत्संबंधी प्रावधानों पर उस सीमा तक ध्यान दिया जाये, जहाँ तक ये प्रावधान लघु उद्योग बैंक में सेवा के लिए अपनाये गये हैं, परन्तु ये लघु उद्योग बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले अपवादों और परिवर्तनों के अधीन होंगे ।

अध्याय - III

निधि

6. निधि की स्थापना

(1) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, एक अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन, अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर एक निधि का गठन करेगा, जिसे 'भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पेंशन निधि' कहा जाएगा।

(2) निधि, अपने एकमात्र अभिप्राय हेतु, इन विनियमों के अनुसार कर्मचारी को पेंशन अथवा उसके परिवार को परिवार पेंशन के संदाय का प्रावधान रखेगा।

(3) लघु उद्योग बैंक निधि का अंशदाता होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसमें पर्याप्त धनराशियाँ रखी हैं, ताकि न्यासी इन विनियमों के अधीन लाभग्राहियों को उचित संदाय कर सकें।

7. भविष्य निधि न्यास की देयता

निधि के गठन के तत्काल बाद, भविष्य निधि के प्रशासक, कर्मचारियों की भविष्य निधि में लघु उद्योग बैंक के अंशदान की संचित राशि का अन्तरण तथा इस प्रकार के अन्तरण की तारीख तक उपचित ब्याज का अन्तरण करेंगे।

8. निधि की संरचना

निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् :--

(क) कर्मचारी के मासिक वेतन के दस प्रतिशत की दर से लघु उद्योग बैंक का अंशदान;

(ख) कर्मचारियों की भविष्य-निधि में लघु उद्योग बैंक के संचित अंशदानों का अन्तरण और इस प्रकार के अन्तरण की तारीख तक उपचित ब्याज का अंतरण;

(ग) 01 नवम्बर, 1993 के पूर्व सेवा-निवृत्त होने वाले, परन्तु इन विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों द्वारा वापस की गई ब्याज राशि सहित लघु उद्योग बैंक के अंशदानों की राशि;

(घ) निधि की धनराशियों तथा उन पर अर्जित ब्याज से वार्षिकियों या प्रतिभूतियों की खरीद में निवेश,

(ङ) निधि की पूंजीगत आस्तियों से उत्पन्न किसी पूंजीगत लाभ की राशि;

(च) इन विनियमों के विनियम 12 में निहित प्रावधानों के अनुसार, लघु उद्योग बैंक द्वारा किया गया अतिरिक्त वार्षिक अंशदान;

(छ) निधि में जमा की गयी निवेश राशि से प्राप्त कोई आय; और

(ज) किसी मृत कर्मचारी के परिवार द्वारा लौटाई गई ब्याज-राशि सहित लघु उद्योग बैंक के अंशदानों की राशि।

9. न्यासी मंडल

(1) न्यासी मंडल में ऐसी संख्या में व्यक्ति (तीन से कम नहीं और नौ से अधिक नहीं) समाहित होंगे, जिसका निर्धारण लघु उद्योग बैंक द्वारा नियुक्त बोर्ड द्वारा किया जाए।

IndiaCode

(2) न्यासियों की नियुक्ति की शक्ति लघु उद्योग बैंक में निहित होगी तथा इस प्रकार की सभी नियुक्तियाँ लिखित रूप में की जाएँगी।

(3) लघु उद्योग बैंक इन न्यासियों में से किसी एक को न्यासी मंडल का अध्यक्ष नामित करेगा। लघु उद्योग बैंक वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में एक न्यासी भी नामित करेगा, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

10. लघु उद्योग बैंक के निदेशों का पालन न्यासी करेंगे

न्यासी ऐसे सभी निदेशों का अनुपालन करेंगे, जो लघु उद्योग बैंक द्वारा निधि के समुचित प्रकार्य हेतु दिए जाएँगे।

11. निधि की लेखा-बहियाँ

(1) निधि के लेखे निधि से सम्बन्धित सभी वित्तीय लेन-देनों के विवरण ऐसे रूप में रखेंगे, जैसा कि लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, न्यासी मंडल, न्यास का वित्तीय विवरण तैयार करेगा, जिसमें न्यास की आस्तियों और देयताओं के सामान्य लेखा का उल्लेख होगा और उसकी एक प्रति लघु उद्योग बैंक को प्रेषित करेगा।

(3) अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार, निधि के लेखा का लेखा-परीक्षण होगा।

12. निधि की बीमांकक जाँच-पड़ताल

लघु उद्योग बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के मार्च के 31वें दिन पर निधि की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में बीमांकक द्वारा जाँच-पड़ताल करायेगा और निधि में ऐसे अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करेगा, जो इन विनियमों के अधीन लाभों के संदाय की प्रतिभूति हेतु अपेक्षित होंगे :

परन्तु लघु उद्योग बैंक, निधि के गठन के वित्तीय वर्ष के ठीक परवर्ती मार्च के यथा 31वें दिन निधि की वित्तीय स्थिति की जाँच-पडताल बीमांकक द्वारा करायेगा।

13. निधि में से निवेश

निधि में अंशदान की गई अथवा निधि की स्थापना के पश्चात् ब्याज या अन्यथा निधि में प्राप्त या उपचित सभी राशियाँ भारत के किसी डाकघर बचत बैंक खाते या किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते में जमा की जाएं या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के अनुसार उपयोग की जाएँ (1882 का 2)।

14. निधि में से संदाय

न्यास द्वारा लाभों का संदाय लघु उद्योग बैंक के कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी लाभों या लघु उद्योग बैंक के मृत कर्मचारियों के परिवारों के परिवार-पेंशन की मंजूरी हेतु किया जाएगा ।

अध्याय - IV

सामान्य शर्तें

15. पेंशन अच्छे भावी आचरण के अधीन

1. (क) इन विनियमों के अधीन, प्रत्येक पेंशन की मंजूरी और उसके जारी रहने के लिए भविष्य में अच्छा आचरण एक निहित शर्त होगी।

(ख) यदि पेंशन प्राप्तकर्ता गम्भीर अपराध का दोषी सिद्ध होता है या गम्भीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, पेंशन को या उसके एक भाग को, स्थाई तौर पर या विशेष अवधि के लिए रोक सकता है या वापस ले सकता है। परन्तु जहाँ पेंशन का एक भाग रोका गया हो या वापस लिया गया हो, वहाँ पूर्णकालिक कर्मचारी के मामले में पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन की राशि 375 रुपए प्रति माह से कम नहीं होगी और अंशकालिक कर्मचारी के मामले में लागू मजदूरी की दर से यह आनुपातिक राशि होगी।

2. जहाँ पेंशन प्राप्तकर्ता गम्भीर अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध हुआ हो, वहाँ ऐसे दोष के सम्बन्ध में न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, उप-विनियम (1) के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

3. जो मामला उप-विनियम (2) के अधीन न आता हो और यदि सक्षम प्राधिकारी समझता है कि पेंशन प्राप्तकर्ता गम्भीर कदाचार का प्रथम दृष्ट्या दोषी है, तो वह उप-विनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने से पहले :--

(क) पेंशन प्राप्तकर्ता को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई, और वह आधार जिस पर कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है, विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस तामील करेगा और उसे नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर या ऐसी अगली अवधि के भीतर, जो पन्द्रह दिनों से अधिक न हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत हो, ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, जैसा वह प्रस्ताव के विरुद्ध प्रस्तुत करना चाहे; और

(ख) पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा खण्ड (क) के अधीन यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो उसे ध्यान में लेगा ।

4. जहाँ उप-विनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष है, वहां आदेश पारित करने से पहले बोर्ड से परामर्श किया जाए और जहाँ ऐसा प्राधिकारी अध्यक्ष से इतर अन्य कोई है, वहाँ अध्यक्ष से परामर्श किया जाए ।

5. यदि उप-विनियम (1) के अन्तर्गत, आदेश अध्यक्ष ने पारित किया हो, तो उस आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड के पास की जाएगी और यदि आदेश अध्यक्ष से इतर किसी अन्य प्राधिकारी ने पारित किया है, तो अपील अध्यक्ष के पास की जाएगी, जो बोर्ड के परामर्श से, अपील पर ऐसे आदेश पारित करेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

16. लघु उद्योग बैंक का पेंशन रोकने या वापस लेने का अधिकार

यदि किसी विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही में पेंशन प्राप्तकर्ता अपनी सेवा अवधि (जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन पर प्रदत्त सेवा भी शामिल है) के दौरान गम्भीर कदाचार अथवा लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह पेंशन की पूरी राशि अथवा उसके भाग को स्थायी तौर पर अथवा किसी निर्धारित अवधि तक के लिए रोक ले अथवा वापस ले ले और पेंशन में से लघु उद्योग बैंक को हुई आर्थिक हानि की आंशिक अथवा पूरी वसूली के लिए आदेश जारी करे, परन्तु अन्तिम आदेश जारी करने से पहले निदेशक बोर्ड से परामर्श करना होगा। परन्तु यह भी कि पेंशन उस किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के कारण नहीं रोकी जाएगी या वापस नहीं ली जाएगी, जो कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद उस कार्य के कारण या उस घटना के सम्बन्ध में शुरू हो, जो ऐसी कार्यवाही करने के चार से अधिक वर्ष पहले घटी हो।

जहाँ सक्षम प्राधिकारी पेंशन में से धन संबंधी हानि की वसूली का आदेश देता है, वहाँ वसूली सामान्यतया कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पेंशन की एक तिहाई की दर से अधिक नहीं की जाएगी, परन्तु जहाँ पेंशन का एक भाग रोका गया है या वापस लिया गया है, वहाँ पूर्णकालिक कर्मचारी के मामले में पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन की राशि 375 रुपए प्रतिमाह से कम नहीं होगी और अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, लागू मजदूरी की दर से यह आनुपातिक राशि होगी ।

17. (i) जो कर्मचारी अधिवर्षिता आयु पूरी करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही आरम्भ की गयी है या जहाँ विभागीय कार्यवाही लंबित है, वहाँ अनंतिम पेंशन मंजूर की जायेगी, जो उसे देय अधिकतम पेंशन के बराबर होगी। परन्तु इस कार्यवाही के समाप्त होने पर, उसके सेवानिवृत्त होने के बाद, अन्तिम रूप में सेवानिवृत्त लाभों पर समायोजित की जायेगी। परन्तु यदि उसे अन्तिम रूप से मंजूर पेंशन की राशि अनंतिम पेंशन से कम है अथवा उसकी पेंशन स्थायी रूप से अथवा निर्धारित अवधि के लिए कम कर दी गयी है अथवा रोक आदि दी गयी है, तो उस स्थिति में कोई वसूली नहीं की जायेगी।

(ii) ऐसे मामलों में, ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध जब तक कार्यवाही सम्पन्न न हो जाए, उसे उपदान नहीं अदा किया जाएगा। कार्यवाही समाप्त होने पर उपदान उसे अदा किया जाएगा, परन्तु इस सम्बन्ध में कार्यवाही के निर्णय या कर्मचारी से यदि कोई वसूली की जानी है, तो उसकी शर्तें लागू होंगी।

18. इन विनियमों के विनियम 39 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी कर्मचारी, जिसके विरुद्ध विनियम 16 में उल्लिखित विभागीय या न्यायिक कार्यवाही उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले आरम्भ की गई हो या जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद आरम्भ की गई है तो, जैसी भी स्थिति हो, जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह विनियम 17 के अन्तर्गत अपनी प्राधिकृत अनंतिम पेंशन के एक हिस्से को रूपांतरित कराने का पात्र नहीं होगा।

19. सेवा-निवृत्ति के बाद वाणिज्यिक रोज़गार

यदि पेंशनकर्ता स्टाफ विनियमावली के विनियम 34 के अन्तर्गत, लघु उद्योग बैंक की पूर्वानुमति के बगैर कोई वाणिज्यिक रोजगार करता है या ऐसी किन्हीं शर्तों को भंग करता है, जिनके अधीन उसे वाणिज्यिक रोज़गार करने की अनुमति दी गयी है, तो लघु उद्योग बैंक को यह अधिकार होगा कि सभी संबंधित परिस्थितियों पर विचार कर लेने के बाद लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को दर्ज करते हुए, वह यह घोषित करे कि कर्मचारी पूरी पेंशन या उसके किसी हिस्से के लिए ऐसी अवधि तक हकदार नहीं है, जिसका उल्लेख आदेश में किया गया हो, परन्तु ऐसा कोई भी आदेश पेंशन प्राप्तकर्ता या कर्मचारी को ऐसी घोषणा के विरुद्ध अपना कारण बताने का अवसर दिये बिना जारी नहीं किया जायेगा।

अध्याय-V

अर्हता सेवा

20. अर्हता सेवा का प्रारम्भ

इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, कर्मचारी की अर्हता सेवा का प्रारम्भ उस तारीख से होगा, जिस तारीख को वह उस पद का कार्यभार संभाल लेता है, जिस पर वह या तो मूल रूप से या स्थानापन्न यां अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है, बशर्ते स्थानापन्न या स्थायी सेवा के बाद वह बिना अन्तराल के उसी या अन्य पद पर वास्तविक रूप से नियुक्त हो जाये ।

21. सेवा की एक वर्ष से कम की खंडित अवधि

यदि कर्मचारी की सेवा अवधि में ऐसी खंडित सेवा अवधि शामिल है, जो एक वर्ष से कम है, तो ऐसी स्थिति में यदि यह खंडित अवधि छः महीने से अधिक है, तो इसे एक वर्ष माना जायेगा और यदि यह खंडित अवधि छः महीने से कम है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

22. परिवीक्षाधीन सेवा की गणना

किसी पद पर परिवीक्षाधीन रहने के पश्चात्, उसको उसी या अन्य पद पर स्थायी कर दिया जाता है, तो इस अवधि को शामिल किया जायेगा।

23. सैन्य सेवा की गणना

यदि कोई कर्मचारी बैंक में नियुक्ति से पहले सैन्य सेवा में रहा है, तो वह निम्नलिखित में किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है :

(क) सैनिक पेंशन लेना जारी रखना। ऐसे मामले में उसकी पहले की सैन्य सेवा को अर्हता सेवा में शामिल नहीं किया जायेगा, या

(ख) अपनी पेंशन का आहरण बंद करना तथा पहले से आहरित की जा चुकी पेंशन एवं सैन्य पेंशन के एक हिस्से के रूपान्तरण से प्राप्त राशि को पुनर्नियोजन के पश्चात् लौटाना और सैन्य सेवा को अर्हता सेवा में शामिल करना, परन्तु :

(i) लघु उद्योग बैंक में नियुक्ति की तारीख से पहले आहरित पेंशन को लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी;

(ii) पेंशन के ऐसे घटक को उसे लौटाना होगा, जिस पर वेतन निर्धारण करते समय विचार नहीं किया गया।

24. छुट्टी पर बितायी गयी अवधि की गणना

सेवा अवधि के दौरान ली गई ऐसी छुट्टियों को, जिनके लिए छुट्टी वेतन देय है तथा चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर मंजूर की गई सभी असाधारण छुट्टियों को, जब तक कि अन्यथा निर्णय न किया गया हो, अर्हता सेवा में शामिल किया जायेगा।

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर मंजूर की गई असाधारण छुट्टी से भिन्न अन्य असाधारण छुट्टी के मामले में, ऐसी छुट्टी मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी ऐसी छुट्टी की अवधि को अर्हता सेवा में शामिल करने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते यह छुट्टी कर्मचारी को निम्नलिखित कारणों से मंजूर की गई हो:

(i) नागरिक अशान्ति के कारण कार्यग्रहण करने या पुन: कार्यग्रहण करने में असमर्थ होना, अथवा

(ii) लघु उद्योग बैंक द्वारा अनुमोदित उच्च अध्ययन हेतु।

25. प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि

नियुक्ति से तुरन्त पहले, कर्मचारी द्वारा लघु उद्योग बैंक में प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि को अर्हता सेवा में शामिल नहीं किया जायेगा, जब तक ऐसी नियुक्ति के समय, इसके विपरीत बात का उल्लेख न हो।

26. निलम्बन अवधि

कर्मचारी की जाँच पूरी होने तक, निलम्बन अवधि को ऐसी स्थिति में अर्हता सेवा में शामिल किया जायेगा, जहाँ ऐसी जाँच की समाप्ति पर वह पूर्णत: दोषमुक्त सिद्ध हुआ हो तथा, अन्य मामलों में, निलम्बन की अवधि को उस समय तक शामिल नहीं किया जायेगा, जब तक कि आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी इसे अर्हता सेवा में शामिल करने की स्पष्ट रूप से घोषणा न करे।

27. त्यागपत्र अथवा बरख़ास्तगी अथवा सेवा-समाप्ति पर सेवा का अपवर्तन

कर्मचारी का सेवा स त्यागपत्र अथवा बरख़ास्तगी अथवा सेवा समाप्त कर दिये जाने पर उसकी पहले की सेवा अपवर्तित हो जायेगी तथा इसके परिणामस्वरूप वह अवधि पेंशन संदाय हेतु अर्ह नहीं मानी जायेगी।

28. विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि

विदेश सेवा के अन्तर्गत, संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य विदेशी निकाय या संगठन [illegible] नियुक्त कर्मचारी को विकल्प होगा कि वह :

(i) अपनी विदेश सेवा के सम्बन्ध में पेंशन अंशदान अदा करे तथा इन विनियमों के अधीन ऐसी सेवा को अर्हता सेवा में शामिल करा ले; अथवा

(ii) विदेशी नियोक्ता के नियमों के अन्तर्गत, स्वीकार्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करे और इन विनियमों के अन्तर्गत, पेंशन के लिए ऐसी सेवा को अर्हता सेवा के रूप में शामिल न करवाये। परन्तु जहाँ कर्मचारी खंड (ii) का विकल्प चुनता है, कर्मचारी द्वारा प्रदत्त पेंशन अंशदानों, यदि कोई हो, को उसे लौटा दिया जायेगा।

29. भारत के किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि

कर्मचारी की भारत में अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि को अर्हता सेवा में शामिल किया जायेगा, बशर्ते वह संगठन या कर्मचारी लघु उद्योग बैंक को पेंशन अंशदान अदा करे।

30. लघु उद्योग बैंक में प्रतिनियुक्ति की अवधि

कर्मचारी के अन्य संस्थान से लघु उद्योग बैंक में प्रतिनियुक्ति पर आने पर, यदि बाद में वह लघु उद्योग बैंक की सेवा में ले लिया गया है, तो उसकी पहले की सेवा को अर्हता सेवा में उस स्थिति में शामिल किया जायेगा, जब कर्मचारी अपने पूर्व नियोक्ता से प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभों की राशि को लघु उद्योग बैंक को अदा करे तथा अदा करने की तारीख तक उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज की राशि भी जमा करे। परन्तु यदि कर्मचारी को अपनी पूर्व सेवा के लिए पेंशन संबंधी कोई लाभ नहीं मिला है, तो उसकी ऐसी सेवा को पेंशन हेतु तभी शामिल किया जायेगा, जब वह नकदीकरण तालिकाओं के अनुसार परिकलित की गयी राशि तथा उस पर इन विनियमों में बताये गये अनुसार ब्याज का भुगतान करेगा।

IndiaCode

31. सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी

सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी को अर्हता सेवा में शामिल नहीं किया जायेगा तथा सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी के दौरान पेंशन देय नहीं होगी। कर्मचारियों को निम्नलिखित विकल्प होगा :

(क) या तो सेवानिवृत्ति-पूर्व संचित छुट्टी की पूरी अवधि को भुनाये तथा अधिवर्षिता की तारीख के बाद वाले महीने की पहली तारीख से पेंशन प्राप्त करें (क्योंकि सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी उस महीने के प्रारम्भ से शुरू होती है); अथवा

(ख) पूर्ण हुए महीनों के लिए सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी ले लें और एक महीने से कम की सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी की खंडित अवधि को भुना लें, ताकि आगामी महीने की पहली तारीख से पेंशन प्राप्त कर सकें।

32. विशेष परिस्थितियों में अर्हता सेवा में परिवर्द्धन

(1) लघु उद्योग बैंक के विवेक पर, कर्मचारी अधिवर्षिता पेंशन के लिए (अन्य किसी प्रकार की पेंशन के लिए नहीं) अर्ह मानी जाने वाली अपनी सेवा में वास्तविक अवधि, जो उसकी सेवा की एक चौथाई अवधि से अधिक न हो अथवा वृद्धि के लिए पात्र अथवा भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से जितनी अधिक थी, वह वास्तविक अवधि, अथवा 5 वर्ष की अवधि में, इनमें से जो भी कम हो, वह अवधि जोड़ने के लिए पात्र होगा, बशर्ते वह ऐसी सेवा या पद के लिए नियुक्त हुआ हो, जिसके लिए --

(क) स्नातकोत्तर शोध, अथवा विशेषज्ञ योग्यता अथवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी या पेशेवर क्षेत्रों का अनुभव आवश्यक हो; और

(ख) जिसके लिए प्राय: 25 वर्ष से अधिक की आयु के उम्मीदवारों की भर्ती की जाती हो।

परन्तु यह रियायत कर्मचारी के लिए उस समय तक स्वीकार्य नहीं होगी, जब तक कि लघु उद्योग बैंक की सेवा छोड़ते समय उसकी वास्तविक अर्हता सेवा दस वर्ष से कम न हो।

स्पष्टीकरण

यह रियायत लघु उद्योग बैंक में 25 वर्ष से अधिक की आयु में भर्ती हुए कर्मचारी को केवल आयु में छूट के आधार पर उपलब्ध नहीं होगी।

(2) कर्मचारी यदि किसी ऐसी आयु में भर्ती हुआ है, कि वह अधिवर्षिता की अपनी सामान्य आयु के अनुसार न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा नहीं पूरी कर पायेगा, ताकि वह पेंशन के लिए पात्र हो सके, उस स्थिति में उसे पेंशन नहीं मिलेगी और उस पर अंशदायी भविष्य निधि नियम लागू होंगे।

अध्याय - VI

पेंशन की श्रेणियाँ और उनको नियंत्रित करने वाली शर्तें

33. अधिवर्षिता पेंशन

ऐसे कर्मचारी को अधिवर्षिता पेंशन मंजूर की जाएगी, जो अधिवर्षिता आयु पर सेवानिवृत्त होने पर प्रदान की जायेगी। परन्तु सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी के दौरान पेंशन देय नहीं होगी।

34. समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन

(1) समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन केवल ऐसे कर्मचारी को मंजूर की जायेगी, जो लघु उद्योग बैंक द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया गया है, अथवा जो विनियम 21 के अनुसार बैंक से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले लेता है।

(2) स्टाफ विनियमावली के विनियम 21 के उप-विनियम (3) या (4) के अनुसार, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हता सेवा को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक इस तरह बढ़ाया जा सकता है, कि ऐसे कर्मचारी की कुल अर्हता सेवा किसी भी स्थिति में 33 वर्ष से अधिक न हो और यह कर्मचारी की अधिवर्षिता की तारीख से आगे न हो।

(3) स्टाफ विनियमावली के विनियम 21 के उप-विनियम (1) के अनुसार, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को प्राप्त पेंशन, इन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत, परिभाषित औसत परिलब्धियों के आधार पर होगी और उसकी अर्हता-सेवा में पांच वर्ष से अनधिक की वृद्धि से वह पेंशन की गणना के उद्देश्य से वेतन के आनुमानिक निर्धारण का हकदार नहीं होगा।

(4) सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी के दौरान पेंशन देय नहीं होगी ।

35. अशक्तता पेंशन

(1) अशक्तता पेंशन केवल तब मंजूर की जाएगी, जब कोई शारीरिक या मानसिक कमजोरी कर्मचारी को बैंक की सेवा के लिए स्थायी तौर पर असमर्थ बना देती है और जिसकी वजह से कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है।

(2) अशक्तता पेंशन हेतु आवेदन करने वाले कर्मचारी को चाहिए कि वह लघु उद्योग बैंक के चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त असमर्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे ।

(3) लघु उद्योग बैंक का चिकित्सा अधिकारी यदि किसी मामले में यह घोषित करता है कि कर्मचारी अब तक जो कार्य करता आ रहा है, उससे कम परिश्रम वाला कार्य ही कर सकता है, तो कर्मचारी को किसी निम्न पद पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वह ऐसे नियोजन हेतु राजी हो और यदि उसे निम्न पद पर भी नियोजित करने की सम्भावना न हो, तो उसे अशक्तता पेंशन दी जा सकती है।

36. अनुकम्पा भत्ता

(1) लघु उद्योग बैंक का कर्मचारी, जिसे बैंक की सेवा से बरख़ास्त कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हों, पेंशन से वंचित हो जायेगा। परन्तु कर्मचारी को बैंक की सेवा से बरख़ास्त करने या सेवाएं समाप्त करने वाला सक्षम प्राधिकारी, यदि मामला विशेष रियायत करने योग्य हो, तो कर्मचारी को अनुकम्पा भत्ता मंजूर कर सकता है, जो उसे अन्यथा मिलनेवाली पेंशन के दो-तिहाई से अधिक न हो।

(2) उप-विनियम (1) के परन्तुक के अन्तर्गत मंजूर किया गया अनुकम्पा भत्ता, पूर्णकालिक कर्मचारी के मामले में 375 रुपए प्रति माह की राशि से कम न हो और अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, लागू मजदूरी की दर के हिसाब से आनुपातिक राशि हो।

37. पेंशन की दर

पूर्णकालिक कर्मचारी के मामले में, मूल पेंशन की दर औसत परिलब्धियों का पचास प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 375 रुपए प्रतिमाह होगी और अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, लागू मजदूरी की दर के हिसाब से आनुपातिक राशि होगी। 33 वर्ष की पूरी सेवा, पेंशन के लिए अर्ह होगी। 33 वर्ष से कम अवधि की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी के मामले में, अर्हता सेवा के वर्षों के लिए आनुपातिक आधार पर पेंशन देय होगी।

38. पेंशन पर महंगाई राहत

लघु उद्योग बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार, महंगाई राहत मंजूर की जाएगी। रूपान्तरण के पश्चात् भी, पूरी मूल पेंशन पर महंगाई राहत दी जाएगी।

39. रूपान्तरण

पेंशन प्राप्तकर्ता अपनी स्वीकार्य पेंशन की राशि के अधिकतम एक तिहाई हिस्से को एकमुश्त भुगतान के रूप में रूपान्तरित करा सकता है। ऐसे पेंशन प्राप्तकर्ता, अपनी स्वीकार्य पेंशन का दो-तिहाई हिस्सा पाने के हकदार होंगे। पेंशन का रूपांतरित हिस्सा, रूपांतरण की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। रूपान्तरण की पद्धति संलग्न तालिका के अनुसार होगी। यदि सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् ही कर्मचारी पेंशन रूपांतरण की राशि लेना चाहता है, तो यह लघु उद्योग बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूरी डाक्टरी जाँच कर लेने के पश्चात् ही मंजूर की जाएगी।

40. 2 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् और 1 नवम्बर, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान

लघु उद्योग बैंक की सेवा से 2 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् और 1 नवम्बर, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, 1 नवम्बर, 1993 से अथवा विनियम 31 के अधीन सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी के पश्चात्, पेंशन के पात्र होंगे। पेंशन का संदाय इस शर्त पर होगा कि कर्मचारी, भविष्य-निधि में लघु उद्योग बैंक के

अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज राशि लौटा दें। साथ ही, उसे आहरण की तारीख से चुकौती की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज की राशि लघु उद्योग बैंक को लौटानी होगी। ऐसे कर्मचारी जिला मेडिकल बोर्ड / बैंक चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा जाँच कराने के पश्चात्, 1 नवम्बर, 1993 से अपनी पेंशन का रूपांतरण करा सकते हैं। मेडिकल बोर्ड/ बैंक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी के स्वास्थ्य को प्रमाणित करेगा और कर्मचारी की आयु को कितना महत्व दिया जाये, इस सम्बन्ध में अपनी राय देगा। तत्पश्चात्, चिकित्सा बोर्ड / बैंक चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताये गये आयु के महत्व को ध्यान में रखते हुए रूपांतरित मूल्य का हिसाब लगाया जाएगा। पेंशन रूपांतरण की सुविधा ऐसे कर्मचारियों के परिवार को प्राप्त नहीं होगी, जो 2 अप्रैल, 1990 और पेंशन योजना के विकल्प का प्रयोग करने की अन्तिम तारीख के बीच सेवानिवृत्त हो गए हों अथवा जिनकी मृत्यु हो गयी हो।

41. परिवार पेंशन

(1) उप विनियम (3) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस समय जब निम्नलिखित स्थितियों में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत कर्मचारी का परिवार, परिवार पेंशन के लिए पात्र होगा :

(क) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर; अथवा

(ख) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने से पहले, बशर्ते सम्बन्धित मृत कर्मचारी को सेवा में अथवा पद पर नियुक्ति से तुरन्त पहले लघु उद्योग बैंक के चिकित्सा अधिकारी ने उसके स्वास्थ्य की जाँच की हो और उसे रोजगार के लिए उपयुक्त घोषित किया हो; अथवा

(ग) सेवानिवृत्ति के बाद और मृत्यु की तारीख को उसे पेंशन अथवा अनुकम्पा भत्ता प्राप्त होता रहा हो।

स्पष्टीकरण

इस विनियम में जहाँ कहीं भी 'एक वर्ष की लगातार सेवा' अभिव्यक्ति का उल्लेख हुआ है, इसमें खंड (ख) में उल्लिखित 'एक वर्ष की निरंतर सेवा से कम' अभिव्यक्ति भी शामिल समझी जाएगी।

(2) परिवार पेंशन की राशि मासिक दरों पर निर्धारित की जाएगी और उसे पूर्ण रुपये में व्यक्त किया जाएगा। जहाँ परिवार पेंशन में रुपये का कोई भाग शामिल होगा, उसे अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

परन्तु किसी भी स्थिति में, उप-विनियम (5) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि से ज्यादा परिवार पेंशन नहीं दी जाएगी।

(3) उस स्थिति में, जब मृत्यु के समय, कर्मचारी ने 7 वर्षों की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, तो परिवार पेंशन अन्तिम आहरित मूल वेतन के 50 प्रतिशत अथवा परिवार पेंशन की सामान्य दर से दुगुनी राशि, दोनों में जो भी कम हो, के बराबर दी जायेगी, बशर्ते कर्मचारी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अन्तर्गत न आता हो। यदि कर्मचारी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आता हो, तो उस स्थिति में परिवार पेंशन उसके अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा परिवार पेंशन की सामान्य दर की डेढ़ गुना राशि, दोनों में से जो भी कम हो, के बराबर

होगी। इस बढ़ी हुई दर पर पेंशन 7 वर्ष तक अथवा मृत कर्मचारी, यदि जीवित होता, तो 65 वर्ष की आयु तक उसके पहुँचने की अवधि तक, दोनों में से जो भी पहले हो, उस अवधि तक दी जायेगी।

(4) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर, जो परिवार पेंशन देय होगी, वह परिवार पेंशन की सामान्य दर से दुगुनी अथवा अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत दर से, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी। मृत्यु के अगले दिन से 7 वर्ष तक अथवा मृत कर्मचारी यदि जीवित होता, तो 65 वर्ष की आयु तक उसके पहुंचने की अवधि, दोनों में से जो भी पहले हो, उस अवधि तक दी जायेगी, परन्तु उपर्युक्त अनुसार परिवार पेंशन की बढ़ी हुई राशि सेवानिवृत्ति पर उसे देय सामान्य पेंशन से अधिक न होगी।

(5) परिवार पेंशन की सामान्य दर निम्नलिखित अनुसार होगी --

(क) उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जो 1 नवम्बर, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं--

वेतन-सीमा	प्रतिमाह परिवार-पेंशन की दर
1500 रुपए तक	वेतन का 30%, न्यूनतम 375 रुपए प्रतिमाह के अधीन।
1501 रुपए से 3000 रुपए तक	वेतन का 20%, न्यूनतम 450 रुपए प्रतिमाह के अधीन।
3000 रुपए से अधिक	वेतन का 15%, न्यूनतम 600 रुपए प्रतिमाह और अधिकतम 1250 रुपए प्रतिमाह के अधीन।

(ख) उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो 1.11.1993 को या इसके बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं--

वेतन-सीमा	प्रतिमाह परिवार-पेंशन की दर
2870 रुपए तक	वेतन का 30%, न्यूनतम 720 रुपए प्रतिमाह के अधीन।
2871 रुपए से 5740 रुपए तक	वेतन का 20%, न्यूनतम 860 रुपए प्रतिमाह के अधीन।
5740 रुपए से अधिक	वेतन का 15%, न्यूनतम 1150 रुपए प्रतिमाह और अधिकतम 2400 रुपए प्रतिमाह के अधीन।

स्पष्टीकरण

अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, परिवार-पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम राशि लागू होने वाली मजदूरी के अनुपात में होगी।

(6) जिस अवधि के लिए परिवार-पेंशन देय होगी, वह निम्नानुसार होगी ---

(क) विधवा अथवा विधुर के मामले में मृत्यु अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, की तारीख तक।

(ख) पुत्र के मामले में, जब तक कि वह कमाना शुरू नहीं कर देता अथवा पच्चीस वर्ष की आयु पूरी करने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, और

(ग) अविवाहित पुत्री के मामले में, जब तक कि वह कमाना शुरू नहीं कर देती अथवा वह पच्चीस वर्ष की आयु की नहीं हो जाती अथवा जब तक वह विवाह नहीं कर लेती, इनमें से जो भी सबसे पहले हो।

परन्तु यदि कर्मचारी का पुत्र या पुत्री किसी मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित हो, अथवा शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग हो, जिससे वह आजीविका कमाने में असमर्थ हो, तो ऐसे पुत्र या पुत्री को, इस संबंध में लघु उद्योग बैंक द्वारा जारी किए जानेवाले अनुदेशों के अनुसार, जीवन पर्यन्त परिवार पेंशन अदा की जाएगी।

(7) (क) परिवार-पेंशन, एक ही समय, परिवार के एक से अधिक सदस्य को नहीं दी जाएगी।

(ख) यदि मृत कर्मचारी अथवा पेंशन प्राप्तकर्ता अपने पीछे विधवा अथवा विधुर छोड़ जाता / जाती है, तो परिवार पेंशन विधवा अथवा विधुर को देय होगी। ऐसी स्थिति न होने पर, परिवार पेंशन पात्र बच्चे को दी जाएगी।

(ग) यदि पुत्र या अविवाहित पुत्रियाँ जीवित हों, तो अविवाहित पुत्रियाँ परिवार पेंशन के लिए तब तक पात्र नहीं होंगी, जब तक कि पुत्र 25 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते अथवा कमाना शुरू नहीं कर देते और इस प्रकार परिवार पेंशन की मंजूरी के लिए अपात्र नहीं हो जाते।

(8) जहाँ मृत कर्मचारी अथवा पेंशन प्राप्तकर्ता अपने पीछे एक से अधिक बच्चे छोड़ जाता है, वहाँ परिवार का सबसे बड़ा पात्र बच्चा इस विनियम के उप-विनियम (6) के खंड (ख) अथवा खंड (ग), जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित अवधि के लिए परिवार पेंशन हेतु पात्र होगा। उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद, परिवार का अगला बच्चा परिवार पेंशन पाने के लिए पात्र होगा।

(9) इस विनियम के अधीन, जहाँ परिवार पेंशन अवयस्क को मंजूर की जाती है, वहाँ यह अवयस्क के लिए उसके संरक्षक को देय होगी।

(10) उस परिस्थिति में, जब पति और पत्नी दोनों ही लघु उद्योग बैंक के कर्मचारी हैं और इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं और उनमें से किसी एक की सेवा-अवधि के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो मृत कर्मचारी के सम्बन्ध में परिवार पेंशन उत्तरजीवी पत्नी या पति को देय होगी और पत्नी या पति की मृत्यु के बाद, मृत माता-पिता के संबंध में दो परिवार पेंशनों की मंजूरी उत्तरजीवी बच्चे अथवा बच्चों को की जाएगी। परन्तु इस परिवार पेंशन की राशि लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली सीमाओं के अधीन होगी।

पी.बी. निम्बालकर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

[विज्ञापन-III/IV/139/2002-असा.]

रूपांतरण तालिका

1 रुपये प्रतिवर्ष की पेंशन के लिए रूपांतरित मूल्य

आयु, अगले जन्मदिवस पर	क्रय वर्ष के रूप में व्यक्त रूपान्तरण मूल्य	आयु, अगले जन्मदिवस पर	क्रय वर्ष के रूप में व्यक्त रूपान्तरण मूल्य	आयु अगले जन्मदिवस पर	क्रय वर्ष के रूप में व्यक्त रूपान्तरण मूल्य
17	19.28	40	15.87	63	9.15
18	19.20	41	15.64	64	8.82
19	19.11	42	15.40	65	8.50
20	19.01	43	15.15	66	8.17
21	18.91	44	14.90	67	7.85
22	18.81	45	14.64	68	7.53
23	18.70	46	14.37	69	7.22
24	18.59	47	14.10	70	6.91
25	18.47	48	13.82	71	6.60
26	18.34	49	13.54	72	6.30
27	18.21	50	13.25	73	6.00
28	18.07	51	12.95	74	5.72
29	17.93	52	12.66	75	5.44
30	17.78	53	12.35	76	5.17
31	17.62	54	12.05	77	4.90
32	17.46	55	11.73	78	4.65
33	17.29	56	11.42	79	4.40
34	17.11	57	11.10	80	4.17
35	16.92	58	10.78	81	3.94
36	16.72	59	10.46	82	3.72
37	16.52	60	10.13	83	3.52
38	16.31	61	9.81	84	3.32
39	16.09	62	9.48	85	3.13

* * * * *

IndiaCode

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2002

Small Industries Development Bank of India Pension Regulations, 2002

HRDD No. 1995 (1)/Staff-Gen. (2).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) and in supersession of the Small Industries Development Bank of India Pension Regulations, 1993 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Board of Directors of Small Industries Development Bank of India hereby makes the following Regulations:

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement

i) These regulations may be called the Small Industries Development Bank of India Pension Regulations, 2002 ;

ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires :

1) 'Act' means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) ;

2) 'Actuary' shall have the meaning assigned to it In clause (1) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) ;

3) 'Average Emoluments' means the average of pay drawn by an employee during the last 10 months of his service ;

4) 'Board' means the Board of Directors of the Small Industries Bank constituted under the Act ;

5) 'Competent Authority' shall have the same meaning as in the SIDBI Staff Regulations, 2001;

6) 'Date of retirement' means the date on which an employee attains the age of superannuation or he is retired by the Small Industries Bank or the date on which the employee voluntarily retires;

7) 'Employee' means any person employed in the service of the Small Industries Bank on full time work or on part-time work exceeding thirteen hours per week and who opts and is governed by these regulations, but shall not include a person employed either on contract basis or on daily wages;

8) 'Family' means:

a) Wife in the case of male employee and husband in the case of female employee provided the marriage took place before retirement of the employee;

b) Son who has not attained the age of twenty-five years and unmarried daughter who has not attained the age of twenty-five years, including son or daughter adopted legally before retirement, but shall not include son or daughter adopted after retirement; however a posthumous child is entitled for the grant of family pension.

9) 'Fund' means the Small Industries Development Bank of India Pension Fund constituted under Regulation 6 ;

10) Pay includes :-

a) Substantive pay.
b) Officiating pay.
c) Special pay.
d) Personal pay.
e) Special personal pay.
f) dearness allowance component up to 1148 points (CPI 1960-100) in respect of employees who are on the Small Industries Bank's roll as on November 1, 1993.
g) any other emoluments which may be classified as pay by the Board of the Small Industries Bank;

11) 'Provident Fund' means the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund created under Regulation 3 of the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1990 ;

12) Subject to other conditions in these Regulations, 'Qualifying Service' means service rendered while on duty or otherwise which shall be taken into account for the purpose of pension under these Regulations;

13) 'Retirement' means retirement in terms of Regulation 21 of the Staff Regulations and other instructions issued by the Bank under Settlements/Awards;

14) 'Small Industries Bank' means Small Industries Development Bank of India established under the Act ;

15) 'Staff Regulations' means the Small Industries Development Bank of India (Staff) Regulations, 2001 ;

16) 'Trust' means the trust of Small Industries Development Bank of India Pension Fund constituted under sub-regulation (1) of Regulation 6 ;

17) 'Trustee' means the trustee of the Small Industries Development Bank of India Pension Fund constituted under Regulation 6 ;

CHAPTER - II

APPLICATION AND ELIGIBILITY

3. Application

These Regulations shall apply to -

i) employees who join the Small Industries Bank's service on or after 1st November 1993;

ii) employees who are in the service of the Small Industries Bank as on 1st November 1993, except those employees who, within the period prescribed by the Small Industries Bank, exercise an option in writing not to be governed by these Regulations; and

iii) employees who were in service as on 2nd April 1990 and had retired before 1st November 1993, provided they exercise option to be governed by these Regulations and refund, within such period as may be specified, the Small Industries Bank's contribution to Provident Fund including interest received by them from the Small Industries Bank together with simple interest at six per cent per annum from the date of withdrawal till the date of repayment. Pension shall be payable to them in accordance with Regulation 40.

4. Eligibility

Pension will be payable on retirement to a full-time employee and to a part-time employee, on part-time work exceeding thirteen hours per week, provided they have completed a minimum service of 10 years. The requirement of minimum service shall not be applicable for drawing Family Pension in the case of an employee who dies while in service.

5. In the matter of the application of these Regulations, regard may be had to the corresponding provisions of the Reserve Bank of India Pension Regulations, 1990 or to the Industrial Development Bank of India Pension Regulations, 1993 or to the Civil Service Regulations or the 'Liberalised Pension Rules or the Civil Pensions (Commutation) Rules or the Family Pension Scheme for Central Government employees, or the Public Sector Banks, as the case may be, in so far as they can be adapted to the service in the Small Industries Bank but subject to such exceptions and modifications as the Small Industries Bank may, from time to time, determine.

CHAPTER - III

THE FUND

6. Constitution of the Fund

(1) The Small Industries Bank shall constitute a Fund to be called "Small Industries Development Bank of India Pension Fund" under an irrevocable trust, within one hundred and twenty days from the notified date.

(2) The Fund shall have for its sole purpose the provision of the payment of pension or family pension in accordance with these regulations to the employee or his family.

(3) The Small Industries Bank shall be a contributor to the Fund and shall ensure that sufficient sums are placed in it to enable the trustees to make due payments to beneficiaries under these Regulations.

7. Liability of the Provident Fund Trust

The Administrators of Provident Fund shall, immediately after constitution of the Fund, transfer to the Fund the accumulated balance of the contribution of the Small Industries Bank to the Provident Fund and interest accrued thereon up to the date of such transfer in respect of the employees.

8. Composition of the Fund

The Fund shall consist of the following, namely :-

(a) the contribution of the Small Industries Bank at the rate of ten per cent, per month of the pay of the employee;

(b) the accumulated contributions of the Small Industries Bank to the Provident Fund and interest accrued thereon up to the date of such transfer in respect of the employees;

(c) the amount consisting of contributions of Small Industries Bank alongwith interest refunded by the employees who had retired before 1st November, 1993 but who opt for pension in accordance with the provisions contained in these Regulations;

(d) the investment in annuities or securities purchased out of the monies of the Fund and interest thereon;

(e) amount of any capital gains arising from the capital assets of the Fund;

(f) the additional annual contribution made by the Small Industries Bank in accordance with the provisions contained in Regulation 12 of these Regulations;

(g) any income from investment of the amount credited to the Fund; and

(h) the amount consisting of contributions of the Small Industries Bank alongwith interest refunded by the family of any deceased employee.

9. Board of Trustees

(1) The Board of Trustees shall consist of such number of persons not less than three and not more than nine, as may be determined by the Board to be appointed by the Small Industries Bank.

(2) The power to appoint the trustees shall vest with the Small Industries Bank and all such appointments shall be made in writing.

(3) The Small Industries Bank shall nominate one of these trustees to be the Chairman of the Board of Trustees. The Small Industries Bank shall also nominate a trustee to be an alternate Chairman who shall act as Chairman in the absence of the Chairman.

10. Trustees to carry out the directions of the Small Industries Bank

The trustees shall comply with all such directions as may be given by the Small Industries Bank for the proper functioning of the Fund.

11. Books of Accounts of the Fund

(1) The accounts of the Fund shall contain the particulars of all financial transactions relating to the Fund in such form as may be specified by the Small Industries Bank.

(2) Within one hundred and eighty days from the close of each financial year, the Board of Trustees shall prepare a financial statement of the trust indicating therein the general account of assets and liabilities of the trust and forward a copy of the same to the Small Industries Bank.

(3) The accounts of the Fund shall be audited in accordance with the provisions of section 30 of the Act.

India Code

12. Actuarial Investigation of the Fund

The Small Industries Bank shall cause an investigation to be made by an Actuary into the financial condition of the Fund every financial year on the 31st day of March and make such additional annual contributions to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under these Regulations :

Provided that the Small Industries Bank shall cause an investigation to be made by an Actuary into the financial condition of the Fund, as on the 31st day of March immediately following the financial year in which the Fund is constituted.

13. Investment of the Fund

All monies contributed to the Fund or received or accruing after the constitution of the Fund by way of interest or otherwise to the Fund may be deposited in a Post Office Savings Bank Account in India or in a Current Account with any scheduled bank or utilised in accordance with the provisions of the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882).

14. Payment out of the Fund

The payment of benefits by the Trust shall be administered for grant of pensionary benefits to the employees of the Small Industries Bank or the family pension to the families of the deceased employees of the Small Industries Bank.

CHAPTER - IV

GENERAL CONDITIONS

15. Pension subject to future good conduct

1) a) Future good conduct shall be an implied condition for every grant of pension and its continuance under these Regulations.

b) The competent authority may, by order in writing, withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct. Provided that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than Rs. 375/- per mensem in the case of full-time employee, and proportionate amount thereof in relation to rate of wages applicable in the case of a part-time employee.

2) Where a pensioner is convicted of a serious crime by a court of law, action under sub-regulation (1) shall be taken in the light of the judgement of the court relating to such conviction.

3) In a case not falling under sub-regulation (2), if the competent authority considers that the pensioner is prima facie guilty of grave misconduct, it shall before passing an order under sub-regulation (1);

a) serve upon the pensioner a notice specifying the action proposed to be taken against him and the ground on which it is proposed to be taken and calling upon him to submit within fifteen days of the receipt of the notice or such further time not exceeding fifteen days as may be allowed by the competent authority such representation as he may wish to make against the proposal; and

b) take into consideration the representation, if any, submitted by the pensioner under clause (a).

4) Where the authority competent to pass an order under sub-regulation (1) is the Chairman, Board shall be consulted and where such authority is other than the Chairman, the Chairman shall be consulted before the order is passed.

5) An appeal against an order under sub-regulation (1) if passed by the Chairman, shall lie to the Board and if passed by any authority other than the Chairman, shall lie to the Chairman, who shall, in consultation with the Board, pass such orders on the appeal as he deems fit.

16. <u>Right of the Small Industries Bank to withhold or withdraw pension</u>

The competent authority may withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, and order recovery from a pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Small Industries Bank or if in any departmental or judicial proceedings, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of his service including service rendered upon re-employment after retirement, provided that the Board shall be consulted before any final orders are passed. Provided further that pension shall not be so withheld or withdrawn on account of any departmental or judicial proceedings, instituted after the employee retires in respect of a cause of action, which arose or in respect of an event which took place more than four years before such institution.

Where the competent authority orders recovery of pecuniary loss from pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of the employee provided that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than Rs. 375/- per mensem in the case of a full-time employee and proportionate amount thereof in relation to rate of wages applicable in the case of a part-time employee.

17. (i) An employee who has retired on attaining the age of superannuation or otherwise and against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings are pending, a provisional pension equal to the maximum pension which would have been admissible to him would be allowed subject to adjustment against final retirement benefits sanctioned to him upon conclusion of the proceedings but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withheld etc. permanently or for a specified period.

ii) In such cases, the gratuity will not be paid to such an employee until the conclusion of the proceedings against him. The gratuity will be paid to him on conclusion of the proceedings subject to decision of the proceedings or any recoveries to be effected from the employee.

18. Notwithstanding anything contained in Regulation 39 of these Regulations, no employee against whom departmental or judicial proceedings referred to in Regulation 16 have been instituted before the date of his retirement or against whom such proceedings are instituted after the date of his retirement as the case may be, shall be eligible to commute a portion of his provisional pension authorised under Regulation 17 during the pendency of such proceedings.

19. Commercial Employment on Retirement

If a pensioner takes up any commercial employment without the prior permission of the Small Industries Bank under Regulation 34 of Staff Regulations or commits a breach of any conditions, subject to which permission to take up any commercial employment has been granted to him, it shall be competent for the Small Industries Bank to declare after taking into consideration all relevant circumstances by order in writing and for reasons to be recorded therein that he shall not be entitled to whole or such part of the pension and for such period as may be specified in the order, provided that no order shall be made without giving the pensioner or employee an opportunity of showing case against such declaration.

CHAPTER - V

QUALIFYING SERVICE

20. Commencement of Qualifying Service

Subject to the provisions of these Regulations, qualifying service of an employee shall commence from the date he takes charge of the post to which he is first appointed either substantively or in an officiating or temporary capacity provided that officiating or temporary service is followed without interruption by substantive appointment in the same or another post.

21. Broken period of service of less than one year

If the period of service of an employee includes broken period of service of less than one year, then if such broken period is more than six months, it shall be treated as one year and if such broken period is less than six months it shall be ignored.

22. Counting of service on probation

Service on probation against a post, if followed by confirmation in the same or another post shall qualify.

23. Counting of military service

An employee who has rendered military service before appointment in the Small Industries Bank may opt either :

a) to continue to draw the military pension, in which case his former military service shall not count as qualifying service, or

b) to cease to draw his pension and refund the pension already drawn on re-employment and the value received for the commutation of a part of military pension and count military service as a qualifying service, provided that :

i) the pension drawn prior to the date of appointment in the Small Industries Bank shall not be required to be refunded;

ii) the element of pension which was ignored for fixation of pay shall be refunded by him.

24. Counting of period spent on leave

All leave during service for which leave salary is payable and all extraordinary leave granted on medical certificate shall count as qualifying service, unless otherwise decided.

Provided that in the case of extra-ordinary leave other than extra-ordinary leave granted on medical certificate, the competent authority may, at the time of granting such leave, allow the period of that leave to count as qualifying service if such leave is granted to an employee :

i) due to his inability to join or re-join duty on account of civil commotion, or

ii) for pursuing higher studies approved by Small Industries Bank.

25. Period spent on training

Period spent by an employee on training in the Small Industries Bank immediately before appointment shall not count as qualifying service, unless specified to the contrary, at the time of such appointment.

26. **Period of suspension**

Period of suspension of an employee pending inquiry shall count for qualifying service where on conclusion of such inquiry, he has been fully exonerated and in other cases, the period of suspension shall not count unless the authority competent to pass the order expressly declares that it shall count as qualifying service.

27. **Forfeiture of service on resignation or dismissal or termination**

Resignation or dismissal or termination of an employee from the service shall entail forfeiture of his past service and consequently shall not qualify for pension payment.

28. **Period of deputation to foreign service**

An employee deputed on foreign service to the United Nations or any other foreign body or organisation may at his option -

i) pay the pension contributions in respect of his foreign service and count such service as qualifying service under these Regulations; or

ii) avail of the retirement benefit admissible under the rules of the foreign employer and not count such service as qualifying for pension under these Regulations, provided that where an employee opts for clause (ii), the pension contributions, if any, paid by the employee shall be refunded to him.

29. **Period of deputation to an organisation in India**

Period of deputation of an employee to another organisation in India will count as qualifying service provided the organisation or the employee pays the pensionary contributions to the Small Industries Bank.

30. **Period of deputation in the Small Industries Bank**

Previous service of an employee on deputation to Small Industries Bank from another organisation, who is later absorbed in the Small Industries Bank's service may count as qualifying service, if the employee pays to the Small Industries Bank the amount of retirement benefits drawn by him from his previous employer together with six per cent simple interest per annum upto the date of payment. Provided that if an employee has not been paid any pensionary benefit for his previous service, he may count such service for the purpose of pension by paying an amount calculated with reference to commutation tables and interest thereon as laid down in these regulations.

31. Leave Preparatory to Retirement

Leave Preparatory to retirement shall not count as qualifying service and pension shall not be payable during leave preparatory to retirement. Employees will have the choice as under :

a) either to encash the entire period of accumulated Leave Preparatory to Retirement and draw pension from the first of the month following the date of superannuation itself (as Leave Preparatory to Retirement commences from the beginning of that month); or

b) to avail of Leave Preparatory to Retirement for completed months and encash the broken period of Leave Preparatory to Retirement of less than a month so as to draw pension from the first of the succeeding month.

32. Addition to qualifying service in special circumstances

1) At the discretion of the Small Industries Bank, an employee shall be eligible to add to his service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension) the actual period not exceeding one-fourth of the length of his service or the actual period by which his age at the time of recruitment exceeded twenty-five years or a period of five years, whichever is less, if the service or post to which the employee is appointed is one -

a) for which post-graduate research, or specialist qualification or experience in scientific, technological or professional fields, is essential; and

b) to which candidates of more than twenty five years of age are normally recruited.

Provided that this concession shall not be admissible to an employee unless his actual qualifying service at the time he quits the Small Industries Bank's service is not less than ten years.

Explanation

This concession shall not be available to an employee recruited in the Small Industries Bank at more than twenty-five years of age merely on the basis of relaxation of age.

2) An employee, who is recruited at an age so that with reference to his normal age of superannuation he would not be rendering a minimum of 10 years of service so as to become eligible to pension, will not be entitled to pension and instead will be governed by the Contributory Provident Fund rules.

CHAPTER - VI

CLASSES OF PENSION AND CONDITIONS GOVERNING GRANT THEREOF

33. Superannuation Pension

Superannuation Pension shall be granted to an employee who has retired on his attaining the age of superannuation Provided that pension shall not be payable during leave preparatory to retirement

34. Premature Retirement - Pension

1) Premature retirement - Pension shall be granted to an employee who is retired by the Small Industries Bank or who voluntarily retires in accordance with Regulation 21 of the Staff Regulations.

2) The qualifying service of an employee voluntarily retiring pursuant to sub-regulation (3) or (4) of Regulation 21 of Staff Regulations, shall be increased by a period not exceeding five years. So, however, that the total qualifying service of such employee shall not in any case exceed 33 years and does not take him beyond the date of superannuation.

3) The Pension of an employee retiring pursuant to sub-regulation (1) of Regulation 21 of Staff Regulations shall be based on the average emoluments as defined under sub-regulations (2) of Regulation 3 of these Regulations and the increase not exceeding five years in his qualifying service shall not entitle him to any notional fixation of pay for the purpose of calculating his Pension.

4) No Pension shall be payable during Leave Preparatory to Retirement.

35. Invalid Pension

1) Invalid pension may be granted, if an employee retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates the employee for the service.

2) An employee applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity from the Small Industries Bank's Medical Officer.

3) Where the Small Industries Bank's Medical Officer has declared the employee fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he shall, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there is no means of employing him even on a lower post, he may be admitted to invalid pension.

36. Compassionate allowance

1) An employee of the Small Industries Bank who is dismissed or terminated from service shall forfeit his pension. Provided that the authority competent to dismiss or terminate him from service may, if the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding two-third of pension which would have been otherwise admissible to him.

2) A compassionate allowance sanctioned under the proviso to sub-regulation (1) shall not be less than the amount of Rs. 375/- per mensem in the case of full-time employee and proportionate amount thereof in relation to rate of wages applicable in the case of a part-time employee.

37. Rate of pension

The rate of basic pension will be fifty percent of the average emoluments subject to a minimum of Rs. 375/- per mensum in the case of a full-time employee, and proportionate amount thereof in relation to rate of wages applicable in the case of a part-time employee. Service of thirty-three years will qualify for the full pension. In the case of an employee who has put in less than 33 years of service, pension will be payable on proportionate basis for the number of years of qualifying service.

38. Dearness relief on pension

Dearness relief will be granted at such rates as may be determined by the Small Industries Bank from time to time. Dearness relief will be allowed on the full basic pension even after commutation.

39. Commutation

A pensioner may commute for a lump-sum payment, a fraction upto maximum of one-third of the pension admissible to him. Such a pensioner will be entitled to the pension upto two-third portion of the admissible pension. Commuted portion of the pension will be restored after a period of fifteen years from the date of commutation. The method of commutation shall be in accordance with the table enclosed hereto. If commutation is sought after one year of the date of retirement, it will be granted only after medical examination, by the Medical Officer of the Small Industries Bank.

40. Payment of pension to employees who retired on or after 2nd April 1990 and before 1st November 1993

Employees, who have retired from the Small Industries Bank's service on or after 2nd April 1990 and before 1st November 1993, shall be eligible for pension from 1st November 1993, or after expiry of leave preparatory to retirement subject to Regulation 31. The payment of pension shall be subject to their refunding Small Industries Bank's contribution to Provident Fund including interest received by them from the Small Industries Bank, together with simple interest at the rate of six percent per annum from the date of withdrawal till the date of repayment. Such employees will be permitted to commute their pension with effect from 1st November 1993, after due medical examination by the District Medical Board/Bank's Medical Officer. The Medical Board/Bank's Medical Officer will certify the health of the official and will indicate its/his opinion regarding weightage to be applied to the age of the official. The commutation value thereafter be calculated with reference to weighted age indicated by the Medical Board/Bank's Medical Officer. The facility of commutation will not be admissible to the family of the employees who retire or die between 2nd April 1990 and the last date for exercise of option to come over the pension scheme.

41. Family Pension

1) Without prejudice to the provision contained in sub-regulation (3), where an employee dies -

a) after completion of one year of continuous service; or

b) before completion of one year of continuous service provided the deceased employee concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by the Medical Officer of the Small Industries Bank and declared fit for employment; or

c) after retirement from service and was on the date of death in receipt of a pension, or compassionate allowance, the family of the deceased shall be entitled to Family Pension.

Explanation

The expression 'one year of continuous service' wherever it occurs in this Regulation shall be construed to include 'less than one year of continuous service' referred to in clause (b).

2) The amount of family pension shall be fixed at monthly rates and be expressed in whole rupees and where the family pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee;

Provided that in no case a family pension in excess of the maximum prescribed under sub-regulation (5) shall be allowed.

IndiaCode

3) Where at the time of death the employee has completed 7 years of continuous service, family pension may be paid at 50% of the pay last drawn or twice the ordinary rate of family pension, whichever is less, provided the employee was not covered by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923). In case the employee was covered by the Act, the family pension should be 50% of the pay last drawn or 1-1/2 times of ordinary rate of family pension whichever is less. The pension at this higher rate is payable for a period of 7 years or till the deceased employee would have attained the age of 65 years had he survived, whichever is earlier.

4) In the event of death after retirement, the family pension at twice the ordinary rate of family pension or @ 50% of the pay last drawn, whichever is less, shall be payable from the date following the date of death for a period of 7 years or till the deceased employee would have attained the age of 65 years, whichever is earlier provided that the amount of enhanced family pension as above shall not exceed the normal pension admissible on retirement.

5) The ordinary rate of family pension will be as under:

a) In respect of employees who retired prior to November 01, 1993

Pay range	Rate of family pension per mensem
upto Rs. 1500/-	30% of pay, subject to a minimum of Rs. 375/- p.m.
Rs. 1501/- to Rs. 3000/-	20% of pay, subject to a minimum of Rs. 450/- p.m.
Above Rs. 3000/-	15% of pay, subject to a minimum of Rs. 600/- p.m. and maximum of Rs. 1250/- p.m.

b) In respect of employees retiring on or after November 01, 1993

Pay range	Rate of family pension per mensem
upto Rs. 2870/-	30% of pay, subject to a minimum of Rs. 720/- p.m.
Rs. 2871/- to Rs. 5740/-	20% of pay, subject to a minimum of Rs. 860/- p.m.
Above Rs. 5740/-	15% of pay, subject to a minimum of Rs. 1150/- p.m. and maximum of Rs. 2400/- p.m.

Explanation

In the case of a part-time employee, the minimum and maximum amounts of family pension shall be in proportion to the rate of wages applicable.

6) The period for which family pension is payable shall be as follows :

a) in the case of a widow or widower, upto the date of death or remarriage, whichever is earlier.

b) in the case of a son, until he starts earning or he attains the age of twenty five years, whichever is earlier, and

c) in the case of an unmarried daughter, until she starts earning or she attains the age of twenty five years or until she gets married, whichever is earliest.

Provided that if the son or daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living, the family pension shall be payable to such son or daughter for life in accordance with the instructions as may be issued in this regard by the Small Industries Bank.

7) a) The family pension shall not be payable to more than one member of the family at the same time.

b) If a deceased employee or pensioner leaves behind a widow or widower, the family pension shall become payable to the widow or widower, failing which to the eligible child.

c) If sons or unmarried daughters are alive, unmarried daughters shall not be eligible for family pension unless the sons attain the age of 25 years or start earning and thereby become ineligible for the grant of family pension.

8) Where a deceased employee or pensioner leaves behind more children than one, the eldest eligible child shall be entitled to the family pension for the period mentioned in clause (b) or clause (c) of sub-regulation (6) of this Regulation, as the case may be, and after the expiry of that period, the next child shall become eligible for the grant of family pension.

9) Where family pension is granted under this Regulation to minor, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.

10) In case both wife and husband are employees of the Small Industries Bank and are governed by the provisions of these Regulations and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall become payable to the surviving husband or wife and in the event of his or her death, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents subject to the limits as may be specified by the Small Industries Bank.

P. B. NIMBALKAR, Chairman and Managing Director

[ADVT-III/IV/139/2002-Exty.]

COMMUTATION TABLE

Commutation values for a pension of Re.1 per annum

Age next birthday	Commutation value expressed as number of years purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of years purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of years purchase
17	19.28	40	15.87	63	9.15
18	19.20	41	15.64	64	8.82
19	19.11	42	15.40	65	8.50
20	19.01	43	15.15	66	8.17
21	18.91	44	14.90	67	7.85
22	18.81	45	14.64	68	7.53
23	18.70	46	14.37	69	7.22
24	18.59	47	14.10	70	6.91
25	18.47	48	13.82	71	6.60
26	18.34	49	13.54	72	6.30
27	18.21	50	13.25	73	6.01
28	18.07	51	12.95	74	5.72
29	17.93	52	12.66	75	5.44
30	17.78	53	12.35	76	5.17
31	17.62	54	12.05	77	4.90
32	17.46	55	11.73	78	4.65
33	17.29	56	11.42	79	4.40
34	17.11	57	11.10	80	4.17
35	16.92	58	10.78	81	3.94
36	16.72	59	10.46	82	3.72
37	16.52	60	10.13	83	3.52
38	16.31	61	9.81	84	3.32
39	16.09	62	9.48	85	3.13

indiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2002